केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX

सेवोत्तम/SEVOTTAM

आई.एस.-15700 प्रमाणित
IS-15700 CERTIFIED

एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003
N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003
वेबसाईट/WEBSITE : http://www.centralexciseaurangabad.gov.in
ई-मेल/E-mail : cexauran@excise.nic.in
फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627

फा.सं. एच.क्यू./संगणक/08-03/एस.डब्ल्यू.पी./सी.शु./2016 दिनांक 16 नवम्बर, 2016

लोक सूचना संख्या 06/सीमा शुल्क/2016

विषयः- एकल खिड़की परियोजना - भाग लेने वाली सरकारी एजेन्सियों से संबंधित कन्साईनमेंट्स की निकासी के लिए जोखिम आधारित चयनात्मक मानदंड का कार्यान्वयन - के संबंध में ।

1. सभी आयातकों, सीमा शुल्क ब्रोकर्स, व्यापार संगठनों तथा व्यापार सदस्यों का ध्यान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र संख्या 03/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 03.02.2016 तथा 10/2016, दिनांक 15.03.2016 तथा इस कार्यालय द्वारा भारतीय सीमा शुल्क एकल खिडकी के तहत समेकित घोषणा के कार्यान्वयन के संबंध में जारी लोक सूचना संख्या 02/सीमा शुल्क/2016 तथा 03/सीमा शुल्क/2016, दिनांक 31.03.2016 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. बोर्ड ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सम्पूर्ण भारत में सभी ई.डी.आई. लोकेशन्स पर 1 अप्रैल, 2016 से 'भारतीय सीमा शुल्क एकल खिडकी परियोजना' परिचालित की है । परिणामस्वरूप सीमा शुल्क के साथ आयातक तथा निर्यातक सीमा शुल्क निकासी दस्तावेज केवल एक बिन्दु पर इलैक्ट्रॉनिकली दर्ज करते है । वांछित अनुमति, यदि कोई हो, पार्टनर गवर्नमेंट एजेन्सीज (पी.जी.ए.) यथा पशु संगरोध, वनस्पति संगरोध, औषधी नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा तथा भारतीय मानक प्राधिकरण, वस्त्र समिति इत्यादि से ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त की जाती है तथा आयातकों/निर्यातकों को अलग से इन एजेन्सीज से अनुमति लेनी नहीं पड़ती हैं । इस प्रकार से एकल खिडकी (स्वीफ्ट) आयातकों/निर्यातकों को आयात तथा निर्यात के माल की निकासी करने के लिए एकल बिन्दु अंतराफलक उपलब्ध करवाती है, जिससे व्यापार का समय तथा कीमत घटती है ।

3. स्वीफ्ट के तहत, एकीकृत घोषणा फाइल करने पर, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) के लिए संबंधित एजेन्सीज को बी.ओ.ई. स्वतः संदर्भित हो जाएगी । यह प्रणाली पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेन्सीज (पी.जी.ए.) तथा सीमा शुल्क द्वारा बी.ओ.ई. के एक ही समय में प्रसंस्करण की अनुमति देता है । पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेन्सीज (पी.जी.ए.) से परामर्श से जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर.एम.एस.) में जोखिम आधारित चयनात्मकता मानदंड में शुरू किया जा रहा है,

जिसके द्वारा भेजे गए कन्साईनमेंट्स को संबंधित पी.जी.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) के लिए संदर्भित किया जाएगा । जोखिम मानदंड तथा पी.जी.ए. द्वारा प्राधिकारों के प्रत्यायोजन के आधार पर दस्तावेजों की जांच तथा/अथवा निरीक्षण/परीक्षण, नमूने का आहरण इत्यादि के संबंध में आर.एम.एस. निर्देश जारी करेगा, जो कि संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों की स्क्रीन पर दिखाई देंगें ।

4. पूर्व में दिनांक 31.03.2016 को जारी लोक सूचनाएं संख्या 02/सीमा शुल्क/2016 तथा 03/सीमा शुल्क/2016 संदर्भ के लिए संलग्न की गई हैं ।

5. सभी आयातकों/सीमा शुल्क ब्रोकर्स/व्यापार संगठनों तथा व्यापार सदस्यों से अनुरोध है कि वे लोकसूचना की विषयवस्तु की ओर ध्यान दे तथा सदस्य घटकों के बीच परिचालित व प्रकाशित करें ।

ह./-16.11.2016
(सी. एल. महर)
आयुक्त

प्रति प्रेषित :-

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, नागपुर प्रक्षेत्र, नागपुर को पत्र फा.सं. VIII(सी.शु.)ना.जो./2016, दिनांक 10.10.2016 के संदर्भ में ।
2. सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, आई.सी.डी. मालीवाडा तथा आई.सी.डी. वालुज ।
3. सहायक आयुक्त (संगणक), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, मुख्यालय औरंगाबाद को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए ।
4. नोटिस बोर्ड ।